न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—386 / 2018 (जीसीएमएस नं. 2018 / 00356)

1. रामगोपाल पुत्र मोटा, जाति अहीर, निवासी हरसोली तहसील किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर।

उपस्थितिः—

1. **श्री मदनलाल कूडी एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से**

निर्णय

दिनांकः 06.12.2021

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 एवं निर्णय दिनांक 31.08.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, की धारा 76 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुर्नग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने पर खसरा नम्बर 61, 74, 77, 81, 82, 83, 210 / 5, 566 / 1, धारा 9 के तहत उक्त भूमि मोटा पुत्र रूघा, जाति अहीर के नाम दर्ज की गई जिसका स्पष्ट उल्लेख भू—प्रबन्ध विभाग के खतौनी सम्वत् 2008 से 2029 के कॉलम संख्या 5 में स्पष्ट है उक्त भूमि पर अपीलान्ट्स के पूर्वज व उसके बाद अपीलान्ट्स आराजीयात पर काबिज काश्त चले आ रहे है, उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को किसी प्रकार का कोई विधिक सूचना नही दी, ना ही अपीलान्ट्स को सुनवाई का व साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर ही प्रदान किया जबकि बिना विधिक सूचना व बिना सुने कार्यवाही नही की जा सकती बल्कि एकतरफा कार्यवाही करते हुये न्यायिक प्रक्रिया को दरकिनार करते हुये उक्त अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा विपरित है एकतरफ आदेश व कार्यवाही कानूनन प्रभावहीन है इसलिये अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त आराजीयात कभी भी माफी मंदिर की खातेदारी में दर्ज नही रही है, माफी रिज्यूम हो जाने से उपभौक्ता के कॉलम से मंदिर का नाम हटा दिया गया तथा कृषक कॉलम नम्बर 5 में अंकित मोटा के नाम खातेदारी के रूप में दर्ज हुआ तथा मोटा की मृत्यु के बाद अपीलान्ट के नाम विधिक प्रक्रिया अपनाकर

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

कानूनन जांच पड़ताल करने के बाद दर्ज हुआ तथा अपीलान्ट के पूर्वज व अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहा है। अपीलान्ट के पूर्वज व अपीलान्ट माफी रिज्यूम होने के साथ निर्बाध रूप से खातेदार की हैसियत से काबिज होकर माफी रिज्यूम होने के साथ कॉलम नम्बर 3 में मंदिर के बजाय राजस्थान सरकार का अंकन हो गया तथा कृषक के कॉलम में अंकित मोटा को माफी रिज्पशन की धारा 9 एवं काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के अनुसार खातेदार दर्ज कर दिया गया तथा माफी रिज्पशन की धारा 10 के अन्तर्गत जामींदार अथवा माफीदार की भूमि जो उनके खुदकाश्त में दर्ज थी वे ही भूमि उनकी खातेदारी में अंकित की गई परन्तु यहॉ पर कॉलम नम्बर 5 में कृषक की जगह अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी मोटा का नाम कृषक के रूप मे लिखा हुआ था। अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी काबिज काश्त खातेदार रहे है एवं उनकी मृत्यु उपरान्त निरन्तर अपीलान्ट काबिज काश्त रहे। राज्य सरकार के द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 24.05.2007 व उसकी पालना में स्वयं राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.01.2020 भी स्पष्ट है जो कि दरकिनार करते हुये न्यायिक प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि विधान व न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट के पूर्वाधिकारी का नाम तौर कृषक के रूप में दर्ज चला आ रहा था उनकी मृत्यु उपरान्त उनके वारिसान की जांच कर विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाकर अपीलान्ट के हक में राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज की गई है, यह अंकन स्वतः ही नही होते है, राजस्व अभिलेख में कोई न कोई आदेश के आधार पर ही अंकन प्रविष्टि की जाती है और जब तक उक्त आदेशों को निरस्त नही करवाया जाता तब तक उक्त राजस्व अंकन को समाप्त नही किया जा सकता, आदि को दरकिनार कर विधिक प्रक्रिया को दरकिनार कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार बाहर निर्णय होने की वजह से खारिज किये जाने योग्य था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही समझकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होन आगे कथन किया है कि उक्त भूमि 1952 मे जागीर उन्मूलन एक्ट के प्रभाव मे आने की दिनांक अर्थात 08.02.1952 को माफी किशन बिहारी के नाम खुदकाश्त भूमि दर्ज नही थी बल्कि सम्मत 2008 से 2029 में कुषक के कॉलम में मोटा पुत्र रूघा दर्ज है अर्थात मौके पर भी काश्त मोटा द्वारा ही की जा रही थी जो जागीर एक्ट की धारा 9 एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 की पालना में भूमि निरन्तर कृषकों के नाम दर्ज रही है जिससे पैतृक अधिकार एवं स्थानान्तरण के अधिकार प्राप्त थे एवं जो भूमियॉ राजस्व अभिलेखों में खुद काश्त की दर्ज रही थी वे समस्त भूमियॉ राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचना जारी कर धारा 21 जागीर एक्ट के तहत अधिकृत कर ली गई थी व धारा 22 जागीर एक्ट के तहत राज्य सरकार के नाम दर्ज कर दी गई। उक्त भूमि मंदिर की खुदकाश्त में दर्ज नही थी के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की तह तक नही जाकर व अवलोकन किये बिना ही जो उक्त

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.07.2004 द्वारा अपीलान्टा का उनके पूर्वाधिकारियों से चले आ रहे अधिकारों को समाप्त कर दिया है जो न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य था जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नही समझकर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रिव्यू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह भी निवेदन किया था कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह गलत है नायब तहसीलदार द्वारा जो नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है वह क्षेत्राधिकार बाहर जाकर तस्दीक किया गया है जिस पर मियाद का बिन्दु लागू नही होता है इसलिये अपीलान्ट की अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाना आवश्यक था जिसे अधीनस्थ न्यायलाय ने नही समझकर उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित किया वह रिव्यू किये जाने योग्य है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के कथनो व दस्तावेज पर बिना गौर किये ही केवल मात्र निर्णय करने की गरज से अपीलान्ट का रिव्यू प्रार्थना पत्र भी खारिज कर उक्त अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक 4–3(2)राज–6/2007 दिनांक 24.05.2007 में स्पष्ट निर्देश है कि गलत ढंग से कृषकों का नाम जमाबन्दी से हटाने की विधि विरूद्ध प्रक्रिया को रोका जाना चाहिये को दरकिनार कर उक्त अपीलाधीन निर्णय की पालना मे अपीलान्ट की खातेदारी की जगह माफी मंदिर दर्ज कर दी गई है जो गलत व कानूनी प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ जयपुर द्वारा प्रार्थना पत्र संख्या 44/2018 निर्णय दिनांक 31.08.2018 एवं अपील संख्या 52/2016 बउनवानी रामगोपाल बनाम राजस्थान सरकार में पारित निर्णय दिनांक 08.02.2018 को खारिज फरमाया जाकर नायब तहसीलदार किशनगढ रेनवाल जिला जयपुर द्वारा नामान्तरकरण संख्या 808 दिनांक 27.07.2004 को अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने कथन किया है कि राज्य सरकार के आदेशानुसार नामान्तरकरण संख्या 808 दिनांक 27.07.2004 स्वीकार किया गया है, राज्य सरकार आदेशानुसार मंदिर मूर्ति शाश्वत अव्यस्क होने के कारण मंदिर मूर्ति की खातेदारी भूमि का हस्तान्तरण अवैध है एवं राजस्व विभाग के पत्रांक एफ21(97)राज./राज/1/79 दिनांक 24.04.1982 पूर्व में ही वापस लिया जा चुका है तथा देवस्थान वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग का पत्रांक प.12(22)/देव/91 दिनांक 13.04.1993 इसी विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 24.05.1996 से वापस लिया जा चुका है तथा तत्संबंधी हस्तान्तरणों की भू–अभिलेख में प्रविष्टियों को विलोपित कर पूर्ववत

संभागीय आयुक्त जयपुर

P.T.O.

प्रविष्टियाँ अंकित करने के आदेश दिये गये है। उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत होने से अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुये विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नजीरें है जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रूख अपनाते हुऐ अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुऐ विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के संलग्न खतौनी बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2008 से 2029 के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त जमाबन्दी के कॉलम संख्या 5 में उक्त वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पूर्वज मोटा वल्द रूघा का नाम दर्ज रिकार्ड है जो मंदिर माफी किशन बिहारी की खुदकाश्त दर्ज नही है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी जाहिर होता है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 808 राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 31.12.1991 की पालना में स्वीकार किया गया है जबकि उक्त परिपत्र में केवल पुजारियों के नाम हटाने के निर्देश है किसी खातेदार की खातेदारी को विलोपित किये जाने के आदेश नही है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 एवं 31.08.2018 पारित किये गये है जो विधि सम्मत प्रतीत नही होते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ जयपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.02.2018 एवं 31.08.2018 एवं नामान्तरकरण संख्या 808 वाके ग्राम हरसोली पर उप तहसीलदार किशनगढ रेनवाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.07.2004 अपीलान्ट की आराजी की हद तक निरस्त किया जाकर पूर्व प्रविष्टियों को यथावत बहाल रखा जाता है। तहसीलदार किशनगढ रेनवाल तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार यादव)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 06.12.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

संभागीय आयुक्त
जयपुर